साक्ष्य वादी में वकील वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र बंशीलाल के प्रस्तुत किये। नकल जमाबंदी सम्वत् 2073–76 मौजा गुगरियाली के खाता संख्या 214 प्रदर्श–1 कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्या 1 परफोर्मा पक्षकार होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकिल वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनो तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों यथा मौजा गुगरियाली के खाता संख्या 214 की जमाबंदी आदी का अवलोकन किया गया। तहसीलदार डेह को परफोर्मा पक्षकार के रूप में वाद पत्र पर संयोजित किया गया है। पक्षकारान द्वारा मौजा गुगरियाली के खसरा नम्बर 182, 183 व 184/608 का बंट चाहा गया है जो कि पक्षकारान कि पुश्तैनी भूमि रहती आई है। पुश्तैनी भूमि में सभी काश्तकार अपने अपने बंट का विभाजन अलग करवा सकते है। वाद के पैरा संख्या 2 के बिन्दु क, ख में सभी पक्षकार का अलग–अलग बंट अंकित किया गया है एवं उसी अनुसार पक्षकार द्वारा बंट चाहा गया है एवं किसी भी पक्षकार द्वारा इसका विरोध प्रकट नहीं किया गया है। अतः वाद वादी गण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 बंशीलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गुगरियाली का खेत खसरा नम्बर 182 रकबा 0.0809 हैक्टेयर गै.मु. ढाणी पूरी, खसरा नम्बर 183 रकबा 15.4347 हैक्टेयर में से रकबा 7.2641 हैक्टेयर उत्तरी भाग एवं खसरा नम्बर 184/608 रकबा 0.8256 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
2. वादी संख्या 2 से 8 क्रमशः समादेवी, भंवरीदेवी, वीरमादेवी, अर्चना, मनफूल, अनिल व सुनिल के सह हक बंट कब्जा काश्त में मौजा गुगरियाली का खेत खसरा नम्बर 183 रकबा 15.4347 हैक्टेयर में से रकबा 8.1706 हैक्टेयर दक्षिणी भाग रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा की जाती है।
3. उक्त खसरान के बैक के रहन रहने कि स्थिति में रहन यथावत रहेगा। सूचित रहे।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार डेह को आदेश दिया जाता है कि वे माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

निर्णय आज दिनांक 12/06/24 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

Scanned with CamScanner